निगरानी प्रकरण क्र० / २०१३

दस रुपये TEN RUPEES INDIA

मानीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

C.F. 27-2-13

१- श्रीमती धापूबाई पति देवीसिंग धाकड़

२- चंपालाल पिता देवीसिंग धाकड़

दोनों निवासी ग्राम सनावदिया, तहसील

व जिला इन्दौर -- प्रार्थीगण

R-876-PBR/13

विरुद्ध

श्री दिनेश कारपेंटर प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 27/2/13 को प्रस्तुत

फूलकलीबाई पति कमलसिंग धाकड

निवासी ग्राम छड़ौदा, तहसील देपालपुर 154/27-2-2013

अधीक्षक

जिला इन्दौर -- अनावेदक

आयुक्त कार्या इन्दौर से प्राप्त 26-2-13

वाद : नामान्तरण बाबद

पुनरीक्षण आवेदनपत्र धारा ५० मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत

श्रीमती राजकुमारी खन्ना, अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर व्दारा प्रकरण क्रमांक ४६/२०११-१२ अपील में पारित आदेश दिनांक २१/१२/२०१२ से असन्तुष्ट एवम् दुखित होकर प्रार्थीगण यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर, नियत समयावधि में, योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तुत कर रहा है -

4/3/13

// पुनरीक्षण के आधार //

(१) यह कि विव्दान अपर आयुक्त व अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश विधि-विधान के सिद्धान्तों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(२) यह कि विव्दान अपर आयुक्त महोदय व्दारा उनके समक्ष अपील मेमो में उठाये गये आधारों पर ध्यान दिये बगैर सरसरी तौर पर आलोच्य आदेश प्राप्त किया है जो किसी भी तौर पर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(३) यह कि विव्दान अपर आयुक्त महोदय व्दारा प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से तर्क में उठाये गये मुद्दों पर कोई ध्यान दिये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 876–पीबीआर/13 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–10–2016	निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21–12–2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार के आदेश कमांक 297 दिनांक 3–6–90 के अनुसार धापूबाई एवं अन्य का नाम अंकित होना बताया गया है, परन्तु विचारण न्यायालय के प्रकरण में उक्त आदेश संलग्न नहीं है । इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय में धापूबाई द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 146/98–99 आदेश दिनांक 27–1–2003 का उल्लेख है, परन्तु उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि भी विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	